मा0 निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 266वीं बैठक दिनांक—12 जून, 2024

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 266वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:—

1.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण,	अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अध्यक्ष
2.	डा0 बलकार सिंह,	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	डा0 नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आ0वि0परिषद	सदस्य
4.	श्री महेश चन्द्र पाण्डेय	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आ0वि0परिषद	सदस्य
5.	श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक ल0वि0प्रा0/प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
6.	श्री डी0वी0 सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7.	श्री अनिल कुमार मिश्र,	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,	सदस्य
8.	श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
9.	श्री कल्याण बनर्जी,	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।	सदस्य

विषय सूची

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
266/1	परिषद की 265वीं बैठक दिनांक 05 मार्च,2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 265वीं बैठक दिनांक 05 मार्च 2024, के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
266/2	परिषद की 265वीं बैठक दिनांक 05 मार्च,2024 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 265वीं बैठक दिनांक 05 मार्च 2024, की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
266/3	परिषद कार्मिकों/परिषद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2024 से 50% दर से मंहगाई भत्ता/राहत अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रशासनिक व्यय पर हो रहे व्यय का परीक्षण कराने के साथ ही उसे कम किये जाने के निर्देश दिये गये।
266/4	अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित योजनाओं को गतिशीलता प्रदान करने हेतु डा0 राजेश नाथ त्रिपाठी, सेवानिवृत्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को परिषद हित में ओ0एस0डी0-	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव में छः माह के स्थान पर मा0 निदेशक मण्डल द्वारा 01 वर्ष के लिए समयावृद्धि का अनुमोदन प्रदान किया गया।

	अयोध्या के पद पर दिनांक 01-04-2024 से 30-09-2024 (छः माह तक के लिए) तक के लिए कार्योत्तर अनुमति/अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।		
266/5	श्री शिव बहादुर चौरसिया, सेवानिवृत्त चकबन्धी कर्ता, राजस्व विभाग (चकबन्दी) एवं श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त लेखपाल, राजस्व विभाग (चकबन्दी) को सेवानिवृत्ति के पश्चात उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में फिक्स मानदेय रु0 20,000/- (बीस हजार रुपये) पर दिनांक 01-04-2024 से दिनांक 30-09-2024 तक सेवा विस्तार किये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव में छः माह के स्थान पर मा0 निदेशक मण्डल द्वारा 01 वर्ष के लिए समयावृद्धि का अनुमोदन प्रदान किया गया।
266/6	सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली-1984 (यथा संशोधित 2013) के विनियम-14(2) में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/7	अधिशासी अभियन्तास (सिविल) से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/8	श्री राकेश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त निजी सचिव को सेवानिवृत्त के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय में संविदा पर एक वर्ष हेतु अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/9	भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना अयोध्या में समाविष्ट ग्राम-शाहनेवाजपुर	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	मांझा, शाहनेवाजपुर उपरहार, कूढ़ाकेशवपुर मांझा एवं कूढ़ाकेशवपुर उपरहार के भूमि अर्जन हेतु नियोजन समिति की संस्तुतियाँ परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।		
266/10	जनपद-वाराणसी में प्रस्तावित "वर्लड सिटी एक्सपो" भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना की नियोजन समिति द्वारा की गई कार्यवाही तथा परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/11	परिषद द्वारा जनपद-लखनऊ में संचालित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 मोहनलालगंज, लखनऊ में लैण्ड पूलिंग स्कीम का भी विकल्प दिये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/12	जनपद वाराणसी में प्रस्तावित वैदिक सिटी भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, वर्ल्ड सिटी एक्सपो भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना एवं काशीद्वार भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना वाराणसी के अधिग्रहण हेतु आवश्यक प्रपत्र तैयार किये जाने हेतु मेसर्स पी0सी0एस0मैनेजमेन्ट कन्सटेन्सी प्रा0लि0 लखनऊ को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/13	विधि अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से दो पद लीगल असिटेंट पूर्णतः अस्थायी एक वर्ष की तैनाती के सम्बन्ध में।	विधि	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि उक्त पद पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जो परिषद की तरफ सामान्य प्रकरणों मे

			आवश्यकता पड़ने पर मा0 न्यायालय में परिषद का पक्ष भी रखने में भी सक्षम हो।
266/14	भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना (ग्रीनफील्ड टॉउनशिप) अयोध्या की सीमा के अन्तर्गत लखनऊ अयोध्या गोरखपुर राजमार्ग सं0-27 के Ch.135+340 से Ch.137+800 भाग पर पूर्व में प्रस्तावित एलिवेटेड हाइवे के स्थान पर योजना की क्रास हो रही 03 नग सड़को पर अण्डरपास निर्मित करने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमति सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/15	परिषद की विभिन्न योजनाओं में स्थित रिक्त फ्लैट्स/अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण में गति प्रदान किए जाने हेतु मार्केटिंग सेल का गठन किए जाने हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि सेल में जो भी अधिकारी /कर्मचारी हों नियुक्त हो, उनका नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर, इत्यादि का विवरण परिषद वेबसाइट परिषद योजनाओं के बाहर प्रदर्शित हो, ताकि आम जन–मानस को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
266/16	परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-17 में स्थित प्राइमरी स्कूल भूखण्ड के आवंटी सेन्ट्रल स्कूल एजूकेशन सोसाइटी को भवन निर्माण की समयवृद्धि के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित। साथ ही भविष्य में स्कूल भूखण्ड के अन्य प्रकरणों हेतु एक नीति निर्धारित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
266/17	परिषद में अनिर्माण शुल्क एवं समयवृद्धि शुल्क के पुनः निर्धारण के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/18	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में रु0 5.00 लाख तक प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अपर आवास आयुक्त (प्रचार)	प्रचार	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	को अधिकृत करने के सम्बन्ध में।		
266/19	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री महेश कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जाँच गठित किये जाने हेतु अनुमोदन के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/20	परिषद की आम्रपाली योजना, लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-ई-1/जी0एच0-1 मेसर्स अर्थकान कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/21	परिषद की विभिन्न योजनाओं के एन्क्लेवों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त फ्लैटों के निस्तारण हेतु विशेष पंजीकरण योजना (तृतीय चरण) के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/22	परिषद की वृन्दावन योजना सेक्टर-20 में एवं अवध विहार योजना सेक्टर-10 लखनऊ में ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को आवासीय भूखण्डों में परिवर्तित कर नव-सृजित भूखण्डों को ई-नीलामी के माध्यम से निस्तारित कराने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तावित भूखण्डों को नवसृजित कर (विशेष सुविधा युक्त) नीलामी के बजाए सामान्य आवंटन/पंजीकरण खोले जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में अधिक घनत्व एवं बेहतर सुविधा युक्त फ्लैट्स के अन्य विकल्पों हेतु बल्क सेल, बड़े ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों पर भी विचार कर लिया जाए।
266/23	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित बल्क सेल भूखण्ड संख्या-4/बी0एस0-2 के द्वितीय फेस के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
266/24	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-7/5 के पुनर्जीवन की अनुमति के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक–19.04.2012 से लगभग 12 वर्ष के पश्चात भी आवंटी द्वारा धनराशि जमा नहीं की गयी, जिस कारण से आवंटन निरस्त किया जाता है। विस्तृत आदेश जारी करने

			हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को अधिकृत किया जाता है।
266/25	परिषद की नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना फेज-2, मोहनलालगंज, लखनऊ के भूमि अर्जन हेतु नियोजन समिति की संस्तुतियाँ परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	प्रश्नगत प्रस्ताव में लिपिकीय त्रुटिवश 23.4737 हे0 भूमि का असुधार शुल्क लेते हुए अर्जन मुक्त करने का प्रस्ताव अंकित हो गया है, जिसे संशोधित करते हुए 23.4737 हे0 भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाता है।
266/26	परिषद की योजना सं0-7, शास्त्रीनगर, मेरठ में समाविष्ठ खसरा सं0-5851 के मकान नं0-84, 85 व 86 की 1800.00 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय आदेश सं0–658 /आठ–2–2014 एच0बी0 (51)/दिनांक–06.05.2024 के कम में मा0 परिषद की 261वीं बैठक के मद सं0–7 पर लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए 249वीं बैठक के मद सं0–52 पर लिये गये निर्णय को मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।
266/27	परिषद की कबीर नगर योजना, वाराणसी में परिषद द्वारा निर्मित दो नग फ्लैट्स 35/2 व 35/4 के जर्जर अवस्था में होने के दृष्टिगत पूर्णतः ध्वस्त कराकर परिषद मानको के अनुसार मानचित्र स्वीकृति की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इसी प्रकार की अन्य योजनाओं की ऐसी सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु नीति निर्धारित कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
266/28	उन्नाव भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 जनपद-उन्नाव के नियोजन समिति की संस्तुतियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त 163.48 एकड़ भूमि पर धारा–31(1) का अनुमोदन प्रदान किया गया। शेष भूमि पर नियोजन समिति द्वारा प्रस्तुत विकल्प सं0–2 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय से अनुरोध/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

अनुमोदित,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष